ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि

राज्य सरकार द्वारा सन् 1990 में विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए पेन्शन योजना लागू करवाने के पश्चात सन् 1992 में प्रोफेसर जे. वर्मा एवं डॉ. के.सी. भण्डारी ने प्रयास कर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय पेन्शनर परिषद का गठन किया ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कोई कठिनाई न हो।

जिन लोगों ने परिषद के कार्य का संचालन किया, वे हैं :–

संस्थापक

प्रो. जे. वर्मा
अध्यक्ष (1992–94)

डॉ. के.सी. भंडारी
सचिव

प्रो. एल.एन. व्यास
अध्यक्ष

डॉ. के.सी. भंडारी
सचिव

प्रो. एम.सी. पाठक
कार्यवाहक अध्यक्ष (1994–96)

डॉ. एम.पी. त्यागी
अध्यक्ष (1996–2000)

डॉ. एस. एन. शर्मा
सचिव

डॉ. आर.एम. लोढ़ा
अध्यक्ष (2000–2003)

डॉ. आर.एस. राठौड़
सचिव

डॉ. पी. एस. जैन
अध्यक्ष (2003–2005)

डॉ. सी. एल.शर्मा
सचिव

डॉ. एल.एन. व्यास
अध्यक्ष (2005–23.10.2010)

श्री एस. एल. गोदावत
सचिव

डॉ. बी.पी. भटनागर
अध्यक्ष (24.10.2010 से 22.11.2011)

श्री जी. के. मेहरा
सचिव

परिवर्तित परिस्थितियों के दृष्टिगत परिषद को वैधानिक रूप प्रदान करने के उद्देश्य इसका राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (1958) के अन्तर्गत दिनांक 23.11.2011 को पंजीयन कराने के साथ ही इसका नाम 'मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी पेन्शनर सोसायटी' हो गया।

इस प्रकार नवगठित पंजीकृत सोसायटी हेतु हस्ताक्षरकर्ता सदस्यों ने संस्थापक कार्यकारिणी के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही कार्यकारिणी का कार्यकाल तीन वर्ष हो गया।